बजट सत्र – 2013 के समापन अवसर पर
माननीय विधान सभा अध्यक्ष महोदय का उद्‌बोधन

शुक्रवार, 22 मार्च 2013

माननीय सदस्यगण तृतीय विधान सभा के बारहवे सत्र का आज अंतिम दिवस है । इस बजट सत्र का आरंभ माननीय राज्यपाल श्री शेखर दत्त जी के अभिभाषण से दिनांक 18 फरवरी 2013 को हुआ। मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि 25 दिवसीय इस बजट सत्र का समापन आज सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हो रहा है ।

यद्यपि इस बजट सत्र में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों एवं सरकार के मध्य विचारों की भिन्नता के फलस्वरूप सदन में एक–दो अवसरों पर गतिरोध के अवसर भी आयें किन्तु मुझे यह बताते हुये प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि प्रतिपक्ष के सदस्यों ने गर्भगृह में प्रवेश न करने के उनके संकल्प का संयम के साथ पालन करते हुये संसदीय प्रक्रियाओं में असहमति व्यक्त करने के प्रभावी मान्य तरीके सभा से **''बहिर्गमन''** के द्वारा अपनी असहमति व्यक्त करते हुये परिपक्व एवं उत्कृष्ट संसदीय संस्कृति स्थापित कर इस सदन को गौरवान्वित किया ।

पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों ने सभा में परस्पर समन्वय एवं समादर की भावना से सदन के गतिरोध को समाप्त कर कार्यवाही के संचालन में मुझे अपना अधिकतम सहयोग दिया ।

सभा के मान–सम्मान में अभिवृद्धि एवं संसदीय परम्पराओं को अक्षुण्ण रखते हुये प्रक्रियाओं के अंतर्गत विभिन्न माध्यमों से लोक कल्याण के मामलों को सभा में उठाने एवं वित्तीय तथा विधिक कार्यों पर लम्बी एवं सार्थक चर्चा के लिये माननीय सदस्यों को उनकी संसदीय दक्षता के लिये भी हृदय से बधाई देता हूँ । !

वर्तमान सत्र जो तृतीय विधान सभा का बारहवां सत्र है, मुख्य रूप से वित्तीय एवं विधिक कार्य को सम्पादित करने के लिये माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा आहूत किया जाता है, इसके साथ ही माननीय राज्यपाल महोदय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत माननीय सदस्यों को सम्बोधित भी करते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण राज्य शासन के विगत वर्षों की उपलब्धियों एवं आगामी वर्ष की योजना का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, जिस पर प्रस्तुत धन्यवाद ज्ञापन के माध्यम से माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत संशोधनों से सभा में माननीय सदस्य कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रक्रिया का आरंभ करते हैं । मुझे यह बताते हुये प्रसन्नता हो रही है कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय सदस्यों ने कुल 1064 संशोधन प्रस्तुत कर 3 दिवसों में 10 घण्टे 10 मिनट चर्चा कर अपने संसदीय कर्तव्यों का निर्वहन किया ।

वित्तीय कार्यों के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके पास वित्त विभाग भी है ने दिनांक 19 फरवरी 2013 को वित्तीय वर्ष 2012–13 का तृतीय अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत किया, जिस पर दिनांक 20 फरवरी को सभा ने चर्चा उपरांत स्वीकृति प्रदान की।

वर्तमान सत्र के लिये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार कुल 25 बैठकें प्रस्तावित थीं किन्तु इस सदन की परम्परा के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के दायित्व का निर्वहन करते हुये शनिवार, दिनांक 23 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिये अपने बजट भाषण के साथ आय–व्ययक का अनुमान प्रस्तुत किया ।

वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक पर सभा ने गंभीरता के साथ सामान्य चर्चा हेतु निर्धारित दो दिवस में कुल 7 घण्टे 47 मिनट सामान्य चर्चा की जो इसके पूर्व की सबसे अधिक अवधि तक वर्ष 2009 में हुई 6 घण्टे चर्चा से 1 घण्टा 47 मिनट अधिक है ।

गुरूवार, दिनांक 28 फरवरी, 2013 से 18 मार्च, 2013 तक 12 दिवसों में सभा द्वारा निर्धारित कुल 36 घण्टे 30 मिनट के स्थान पर कुल 64 घण्टे 51 मिनट चर्चा हुई, जो इसके पूर्व की सबसे अधिक अवधि तक वर्ष 2006 में हुई 57 घण्टे 17 मिनट से 7 घण्टे 34 मिनट अधिक है, चर्चा करते हुये विभिन्न विभागों की योजनाओं, पूर्व वर्षों की उपलब्धियों एवं जन आकांक्षाओं के अनुरूप सुझाावों के संबंध में अपने विचार प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किये।

मैं वित्तीय कार्यों में माननीय सदस्यों की गहरी रूचि हेतु बधाई देता हूॅ ।

मुझे यह उल्लेख करते हुये प्रसन्नता हो रही है कि छत्तीसगढ़ की इस सभा के माननीय सदस्यों के द्वारा प्रत्येक विषय पर अपनी बात रखने के फलस्वरूप आय–व्ययक की सभी मॉगें विस्तार से चर्चा के पश्चात पारित की गई । मैं समस्त माननीय सदस्यों को इस हेतु बधाई देता हूॅ ।

संसदीय प्रक्रियाओं में सरकारी कार्यों के साथ–साथ गैर सरकारी कार्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं । नियमों के अन्तर्गत इन कार्यों के लिये आवश्यक रूप से प्रत्येक शुक्रवार के अंतिम ढ़ाई घण्टा निर्धारित किया गया है ।

गैर सरकारी कार्यों के अंतर्गत सदस्यों के द्वारा जनहित में गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से इस सभा के द्वारा संकल्प लिये जाने के प्रस्ताव को रखा जाता है, इसके साथ ही माननीय सदस्य महत्वपूर्ण विषयों पर गैर सरकारी विधेयकों के माध्यम से शासन का ध्यान आवश्यक विधि निर्माण की ओर आकर्षित करते है।

मुझे यह बताते हुये प्रसन्नता हो रही है कि वर्तमान सत्र में सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत अशासकीय संकल्पों में से 12 संकल्प सदन में प्रस्तुत किये गये, ग्यारह अशासकीय संकल्प सभा के द्वारा स्वीकृत किये गये तथा एक संकल्प माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया ।

तृतीय विधान सभा की अवधि में प्रथम बार एक गैर सरकारी विधेयक भी सभा में पुरःस्थापन की अनुमति के लिये प्रस्तुत किया गया। मैं गैर सरकारी कार्यों में माननीय सदस्यों की रूचि के लिये माननीय सदस्यों को बधाई देता हूॅ ।

गैर सरकारी कार्यों के माध्यम से सभा में जो विषय प्रस्तुत हुये मेरा विश्वास है कि उनके जनकल्याणकारी परिणाम भविष्य में इस राज्य को अवश्य प्राप्त होंगे ।

वर्तमान सत्र के दौरान दो महत्वपूर्ण अवसरों का मैं यहॉ उल्लेख करना समीचीन समझता हूॅ । शुक्रवार, दिनांक 8 मार्च 2013 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आसंदी के माध्यम से सभा ने महिला जनप्रतिनिधियों सहित प्रदेश की महिलाओं को

बधाई देते हुये प्रदेश के विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया तथा सोमवार, दिनांक 11 मार्च 2013 को राष्ट्रकुल दिवस के अवसर पर राष्ट्रकुल देशों के वर्ष 2013 के लिये आधार सूत्र **''उद्यम के माध्यम से अवसर''** का उल्लेख करते हुये आसन्दी ने व्यक्त किया कि उद्यमिता एवं कर सकने के संकल्प से ही जन सामान्य के जीवन में नित–नये सुधार के सुनहरे अवसर प्रवर्तित किये जा सकते हैं ।

सत्र के दौरान दिनांक 8 एवं 9 मार्च को लोक सभा नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रकुल महिला संसदविदों की संगोष्ठी में हिस्सा लेने के लिये इस सभा की दो महिला सदस्य श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर एवं श्रीमती रजनी रविशंकर त्रिपाठी को नामांकित किया गया, जिन्होंने संगोष्ठी में राष्ट्रकुल संसदीय संघ की छत्तीसगढ़ शाखा का प्रतिनिधित्व करते हुये अपने विचार व्यक्त किये और इस राज्य की उपस्थिति दर्ज करायी । मैं इस अवसर पर दोनों महिला सदस्यों को भी बधाई देता हूँ।

विधान सभा भवन एवं इसके परिसर को सर्वसुविधायुक्त स्वरूप देने हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं । इस क्रम में विगत वर्षों में विधान सभा परिसर में प्रेक्षागृह का निर्माण किया गया । प्रेक्षागृह के साथ ही माननीय सदस्यों, माननीय पूर्व सदस्यों एवं अन्य गणमान्य नागरिकों के विचार–विमर्श के लिये सेन्ट्रल हॉल का भी निर्माण कराया गया, जिसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति के करकमलों से हुआ। वर्तमान सत्र में इसे सुसज्जित कर इसका उपयोग भी प्रारंभ किया गया । मैं विधान सभा परिसर को सर्वसुविधायुक्त बनाने में सहयोग के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी एवं लोक निर्माण विभाग के मंत्री जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ । विधान सभा के पुस्तकालय के लिये समुचित स्थान उपलब्ध हो, इस हेतु एक 5 मंजिला पुस्तकालय भवन भी निर्माणाधीन है । इस भवन के निर्माण के साथ ही माननीय सदस्यों को उनके संसदीय कार्यों के सम्पादन के लिये एक ऐसा स्थान प्राप्त हो सकेगा, जहॉ माननीय सदस्य अध्ययन एवं शोध कार्य कर सकेंगे और सभा की कार्यवाही में और अधिक सक्षमता के साथ अपने संसदीय कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे ।

इस सत्र के दौरान छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की विशेष आवासीय योजना–2012 के अन्तर्गत माननीय सदस्यों जिन्हें पूर्व में इस योजना के अंतर्गत आवास प्राप्त नहीं हो सके थे, को धरमपुरा, रायपुर में विकसित किये जाने वाले भूखण्डों के आवंटन की कार्यवाही भी हुई ।

यह सभा इस प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत है । आप सब माननीय सदस्य प्रदेश की 2 करोड़ 25 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं । इस सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था के जनप्रतिनिधि अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन कैसे एवं किस प्रकार कर रहे हैं, यह प्रदेश की 2 करोड़ 25 लाख जनता जान सके, इस उद्देश्य से सभा के प्रश्नकाल की कार्यवाही का दूरदर्शन से प्रति दिन सायंकाल प्रसारण किया जाता है और इस प्रकार इस सभा की दर्शक दीर्घा का विस्तार जन–जन तक करने का प्रयास किया गया है और इसके साथ ही प्रदेश की जनता उनकी इस सर्वोच्च पंचायत को न केवल स्वयं देख सकें अपितु यहॉ की कार्यवाही को समझ भी सके, इस उद्देश्य से निरंतर यह प्रयास किया जा रहा है कि प्रदेश की जनता को इस पंचायत परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखते हुये आसानी से प्रवेश मिल सके ।

मुझे यह बताते हुये अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि विगत वर्षों में किये गये प्रयासों के फलस्वरूप ही इस 25 दिवसीय सत्र में सभा के परिसर में प्रवेश हेतु कुल 29,750 प्रवेश पत्र जारी किये गये । दीर्घाओं के लिये छात्र–छात्राओं को जारी

कुल लगभग 3000 प्रवेश पत्र सहित दीर्घाओं के कुल 18,850 प्रवेश पत्र जारी किये गये । सभा की संक्षिप्त जानकारी एवं प्रक्रियाओं की जानकारी हेतु छात्र–छात्राओं को **'' छत्तीसगढ़ विधान सभा एक परिचय''** पुस्तिका प्रदत्त की गई ।

मेरा यह निश्चित मत है कि इस सभा की कार्यवाही को जन–जन तक पहुंचाकर संसदीय प्रणाली को पुष्पित एवं पल्लवित किया जा सकता है और प्रजातंत्र को और अधिक मजबूती प्राप्त हो सकती है । मैं आप सब जनप्रतिनिधियों को भी बधाई देता हूँ और शिक्षण संस्थाओं की भी प्रशंसा करता हूँ जिन्होंने आम जन तक सभा की कार्यवाही पहुंचाने में सहयोग देते हुये महत्वपूर्ण भूमिका निबाही ।

विधायी कार्य इस सभा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है । वर्तमान सत्र में कुल 14 शासकीय विधेयक प्रस्तुत हुये तथा सभा ने सभी विधेयकों को विचार–विमर्श के उपरांत स्वीकृति दी ।

मैं कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों का यहॉ उल्लेख करना चाहूँगा :–

1. छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) विधेयक, 2013
2. अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय विधेयक, 2013
3. दण्ड विधि (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2013
4. छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार विधेयक, 2013

उपरोक्त चारों विधेयक जन–कल्याण एवं छत्तीसगढ़ के विकास की यात्रा में निश्चित तौर पर न केवल मील का पत्थर साबित होंगे अपितु छत्तीसगढ़ राज्य देश में एक ऐसे राज्य के रूप में पहचान स्थापित करेगा जहॉ की सभा जन–कल्याण के कार्यों को विधिक रूप में सम्पादित करने में अग्रणी है ।

इस सत्र में इस सभा के सदस्यों के वेतन भत्तों एवं सुविधाओं में वृद्धि से संबंधित विधिक प्रस्ताव को सभा ने मंजूरी दी ।

अब मैं इस बजट सत्र में सभा में सम्पादित कार्यों की संक्षिप्त में जानकारी से आपको अवगत कराना चाहूँगा । इस सत्र की 25 बैठकों में 148 घण्टे 25 मिनट चर्चा हुई ।

इस सत्र में तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नों की 2771 सूचनायें प्राप्त हुई, इनमें से 230 तारांकित प्रश्नों पर सदन में चर्चा हुई।

दिनांक 18 मार्च को प्रश्नकाल के दौरान खाद्य विभाग से संबंधित स्थगित प्रश्न पर दिनांक 20 मार्च, 2013 को नियमों के अंतर्गत आधे घण्टे की चर्चा भी सदन में ली गई ।

सभा में माननीय सदस्यों ने प्रत्येक विषय पर चर्चा को निष्कर्ष तक पहुंचाया। आपके इस कार्य से निश्चित ही प्रदेश की जनता के मध्य यह संदेश जाएगा कि उनके द्वारा चुने गये जनप्रतिनिधि इस प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत में जन–भावना, जन–कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कृत संकल्पित है।

सत्र में स्थगन के प्रस्ताव की कुल 190 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें से एक ही विषय पर प्राप्त 37 स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं की ग्राह्यता पर सदन में चर्चा हुई। अग्राह्य स्थगन प्रस्तावों की संख्या 149 रही, 4 सूचनायें ध्यानाकर्षण में परिवर्तित की गई। इस सत्र में ध्यानाकर्षण की कुल 747 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें 125 सूचनाएं ग्राह्य व 527 सूचनाएं अग्राह्य रही तथा 95 सूचनायएं शून्यकाल में परिवर्तित की गई। इस सत्र में शून्यकाल की प्राप्त 194 सूचनाओं में से 112 सूचनायें ग्राह्य हुई ।

इस सत्र में शासन के विभागों के कुल 25 प्रतिवेदन पटल पर रखे गये तथा सभा समितियों के 33 प्रतिवेदन भी सभा पटल पर रखे गये ।

माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को याचिकाओं के माध्यम से निराकृत करने हेतु 50 याचिकाएं सभा में प्रस्तुत की गई।

इस सत्र में माननीय सदस्यों ने विधान सभा पुस्तकालय, संदर्भ एवं अनुसंधान सेवा का भी अत्यधिक उपयोग किया । माननीय सदस्यों को विभिन्न विषयों पर लगभग 460 संदर्भ सामग्रियॉ उपलब्ध करवायी गई । सत्रकाल में विधान सभा की वेबसाईट को भी शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित आम जन की भी अत्यधिक रूचि रहती है । सत्रावधि में लगभग 8000 बार विधान सभा की वेबसाईट को देखा गया ।

सत्र में माननीय सदस्यों के लिये विधानसभा भवन स्थित एलोपैथिक चिकित्सालय में स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन 05 मार्च से 07 मार्च 2013 तक किया गया । मैं इस हेतु स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

बजट सत्र के दौरान सांस्कृतिक आयोजन की परंपरा रही है, इसी तारतम्य में संस्कृति विभाग के सौजन्य से मंगलवार, 19 मार्च 2013 को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका आप सभी ने आनंद लिया, इस सफल आयोजन हेतु मैं संस्कृति मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

इस सत्र समापन के अवसर पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता के विषय में विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि अपनी कलम के माध्यम से आपने अपनी सार्थकता को सिद्ध किया है। मैं पत्रकार दीर्घा के सभी पत्रकार बंधुओं, मीडिया के प्रतिनिधियों को धन्यवाद देता हूं कि आपने सत्रकाल में सभा से संबंधित समाचारों को अपेक्षित स्वरूप में जन–जन तक पहुंचाने के कार्य को जिम्मेदारी के साथ निबाहा ।

इस सत्र समापन के अवसर पर सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय उपाध्यक्ष जी एवं सभापति तालिका के सम्माननीय सदस्य सहित आप सभी सदस्यों को आपके सभा की कार्यवाही के संचालन में सहयोग के लिये धन्यवाद देता हूं।

इस अवसर पर राज्य शासन के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके दायित्वों का गंभीरता से परिपालन करने हेतु बधाई देता हूं।

सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों को बधाई देता हूं कि आपने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था को पूरे सत्रकाल में कायम रखा।

इस सत्र के समापन अवसर पर मैं अपने विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव एवं समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं, कि उनके समन्वित/समर्पित सहयोग से इस सत्र का सुचारू संचालन संभव हो सका।

परंपरा रही है कि सत्र समाप्ति के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि सदन को सूचित की जाती है तद्नुसार आगामी मानसून सत्र जुलाई माह के द्वितीय–तृतीय सप्ताह में आहूत करने की संभावना है।

इस अवसर पर मैं आवाह्न करना चाहता हूं कि आइए ! छत्तीसगढ़ राज्य के विकास और समृद्धि के संकल्प के अनुष्ठान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर इस पावन मंदिर की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण बनाए रखने का संकल्प लें।

दिनांक 27 मार्च को रंगों का त्यौहार होली है । मैं समस्त माननीय सदस्यों को होली के अवसर पर शुभकामनायें देता हूँ ।

धन्यवाद !

जय – हिन्द ! जय – भारत !जय – छत्तीसगढ़ !